जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली कम्पनियों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध

बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही

जयपुर, 07 दिसम्बर। विद्युत वितरण निगम प्रशासन ने राज्य में बिजली कम्पनियों में हड़ताल करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार ने 2 दिसम्बर को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पांचों बिजली कम्पनियों में 31 मई, 2016 तक हड़ताल पर रोक लगा दी थी।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष भास्कर ए.सावंत ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिए है कि हड़ताल पर रोक लगाने के आदेश की सख्ती से पालना की जाए। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा टेक्नीकल हेल्परों की मांगो के समर्थन में 8 दिसम्बर से अनिश्चित काल तक टूल डाउन हड़ताल के नोटिस को देखते हुए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री सावंत ने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जाए एवं पहले से स्वीकृत अवकाश को निरस्त करते हुए कर्मचारी को तुरन्त कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहा जावे। हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थिति माना जाये तथा हड़ताल, धरना प्रदर्शन एवं बिजली आपूर्ति को बाधित करने वाले कर्मचारियों की वीडियोग्राफी करवाई जाये।

उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन नेताओं के कार्यालय सहित नाम, आवास का पता एवं मोबाईल नम्बर की सूचना मुख्यालय के साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी उपलब्ध करावें। हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित करने एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने से रोकने वालों के नाम की सूचना भी स्थानीय पुलिस प्रशासन को तुरन्त दी जाये।

श्री सावंत ने बताया कि डिस्कॉम के सभी अधीक्षण अभियन्ता (पवस) को निर्देश दिए गए है कि वे प्रसारण निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय रख कर बिजली आपूर्ति को सामान्य बनाए रखे।

————————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 331/2015